

## निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जवाहरलाल जैन आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 80/2018 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

- 1- श्री हीरालाल पिता गेहरीलाल सुथार नि. सुथारीयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- श्रीमती धापु बाई पत्नी गेहरीलाल सुथार नि. सुथारीयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी  
- वादीगण

॥ बनाम ॥

- 1- श्री रोशनलाल पिता अम्बालाल सुथार नि. सुथारीयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- श्री मदनलाल पिता अम्बालाल सुथार नि. सुथारीयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- श्रीमती मोहनी पत्नी अम्बालाल सुथार नि. सुथारीयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी  
- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा सुथारिया खेडा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- हीरालाल पिता गेहरीलाल 1/2 सुथार सा.देह. धापुबाई पत्नी गेहरीलाल 1/2 सुथार सा.देह. तह. बड़ीसादड़ी

| आ. नं. | रकबा | लगान  |
|--------|------|-------|
| 14 मी. | 0.98 | 12.74 |
| 1      | 0.98 | 12.74 |

- 2- रोशनलाल पिता अम्बालाल 1/3 सुथार सा.देह. मदनलाल पिता अम्बालाल 1/3 सुथार सा.देह. मोहनी पत्नी अम्बालाल 1/3 सुथार सा.देह तह. बड़ीसादड़ी

| आ. नं. | रकबा | लगान  |
|--------|------|-------|
| 14/1   | 0.99 | 12.87 |
| 1      | 0.99 | 12.87 |

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.9.20 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



जवाहर लाल जैन  
आर.ए.एस.  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी



जवाहर लाल जैन  
आर.ए.एस.  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जवाहर लाल जैन आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 80/2018 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

- 1- श्री हीरालाल पिता गोहरीलाल सुथार नि. सुथारीयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- श्रीमती धापु बाई पत्नी गोहरीलाल सुथार नि. सुथारीयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी  
- वादीगण

॥ बनाम ॥

- 1- श्री रोशनलाल पिता अम्बालाल सुथार नि. सुथारीयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- श्री मदनलाल पिता अम्बालाल सुथार नि. सुथारीयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- श्रीमती मोहनी पत्नी अम्बालाल सुथार नि. सुथारीयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी  
- प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील डी. के. वैष्णव की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा सुथारिया खेडा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- हीरालाल पिता गोहरीलाल 1/2 सुथार सा.देह. धापुबाई पत्नी गोहरीलाल 1/2 सुथार सा.देह. तह. बड़ीसादड़ी

| आ. नं. | रकबा | लगान  |
|--------|------|-------|
| 14 मी. | 0.98 | 12.74 |
| 1      | 0.98 | 12.74 |

- 2- रोशनलाल पिता अम्बालाल 1/3 सुथार सा.देह. मदनलाल पिता अम्बालाल 1/3 सुथार सा.देह. मोहनी पत्नी अम्बालाल 1/3 सुथार सा.देह. तह. बड़ीसादड़ी

| आ. नं. | रकबा | लगान  |
|--------|------|-------|
| 14/1   | 0.99 | 12.87 |
| 1      | 0.99 | 12.87 |

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्च.....X. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत.....X को दी जावे। यह आज दिनांक..... 22.9.20 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

जवाहर लाल जैन  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2020/266

दिनांक : 28.9.20

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



जवाहर लाल जैन  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी